भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2361

(दिनांक 20.03.2025 को उत्तर के लिए)

विशाखापट्टनम पत्तन पर कोकीन की जब्ती

2361. श्री येरेम वेंकट सुब्बा रेड्डीः

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सीबीआई ने मार्च, 2024 में विशाखापट्टनम पत्तन पर ब्राजील से आई 25,000 किलोग्राम कोकीन जब्त की थी;
(ख) यदि हां, तो इसकी उत्पत्ति के स्थान, प्रेषिती के नाम और इसमें शामिल आपराधिक नेटवर्क सहित जब्ती का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है;
(घ) यदि हां, तो एफआईआर का ब्यौरा क्या है और एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और
(ङ) मामले की वर्तमान स्थिति क्या है और सीबीआई कब तक आरोप-पत्र दाखिल करेगी और दोषियों को दंडित करेगी?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ड.): सीबीआई ने दिनांक 19.03.2024 को ड्रग डिटेक्शन किट के आधार पर नशीले पदार्थ होने के संदेह पर 25,000 किलोग्राम (लगभग) इन्एक्टिव सूखा यीस्ट जब्त किया था। इसे 'सैंटोस पोर्ट, ब्राजील' से विशाखापत्तनम, भारत में डिलीवरी करने के लिए बुक किया गया था।

सीबीआई ने दिनांक 20.03.2024 को आरसी2202024ई0004 के माध्यम से एक नियमित मामला दर्ज किया। केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल), नई दिल्ली ने नमूनों की जांच करने के बाद यह बताते हुए रिपोर्ट दी कि जांच में नमूनों में नशीले पदार्थ/मन:प्रभावी पदार्थ नहीं पाया गया है। सीएफएसएल रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, दिनांक 23.07.2024 को सक्षम न्यायालय के समक्ष एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई थी और दिनांक 21.09.2024 को इसे स्वीकार कर लिया गया।

******